तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
मुकदमा नम्बर 33 /2022

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

24-05-2022 पत्रावली पेश हुई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आवेदकगण, जबाव प्रार्थना पत्र अनावेदक संख्या 1 में वर्णित तथ्यों व सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 16.04.2022 व प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन करते हुए बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया गया। हाल खसरा नम्बर 347, 348, 426, 427 कुल किता 4 कुल रकबा 6.55 है0 ग्राम आबुसर स्थित कृषि भूमि आवेदकगण व खसरा नम्बर 358 रकबा 1.23 है0 की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी होना दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 347 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 348 रकबा 2.83 है0 की दिनांक 16.04.2022 को नपती किया जाना प्रस्तुत नपती रिपोर्ट से सिद्ध है। प्राथमिक तौर पर आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आवेदकगण के खर्चे पर स्वीकार किया जाकर नपती दिनांक 16.04.2022 के अनुसार मौके पर हाल खसरा नम्बर 348 व 358 ग्राम आबूसर के मध्य की सीमा का सभी प्रभावित पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए मौजूदगी में पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार झुन्झुनू को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं जाप्ता बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

24.05.22

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)